तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रतापसिंह बनाम लो सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त)** **जीसीएमएस नम्बर 2022/235**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.05.22	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ.19(1)()प्रकोष्ठ/संआज/2022/944 दिनांक 18.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा राशि 6/– रूपये जरिये पोस्टल ऑर्डर दिनांक 28.01.2022 को कार्यालय में भिजवाये गए जो कार्यालय में दिनांक 31.01.2022 को प्राप्त हुए, अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा कराने के उपरान्त कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 63 दिनांक 03.02.2022 के द्वारा सूचना भिजवाई गई है। अपील खारिज करने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु शुल्क जरिये पोस्टल ऑर्डर प्राप्त होने लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना पत्रांक 63 दिनांक 03.02.2022 के संलग्न अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब अपीलार्थी की अपील पर कार्यालय हाजा के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त जयपुर।	